

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-रावि/पीएससी-15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 699/2021 हेमंत पाल सिंह गुर्जर बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 699/2021 हेमंत पाल सिंह गुर्जर बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2021 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण हेमंत पाल सिंह गुर्जर व अन्य निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा पृथक-2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	हेमन्त पाल सिंह गुर्जर	17.09.1979	0	28.08.2018	30.08.2018
2.	मनोज कुमार	05.07.1988	1076	24.08.2018	27.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 13.06.2017 द्वारा कार्मिक रवि कुमार मीणा मेरिट क्रमांक - 1924 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि बहला, जैसलमेर में दिनांक 19.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 699/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 14.01.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी रवि कुमार मीणा (मेरिट क्रमांक-1924) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 13.06.2017 द्वारा

किया गया था, जिसके क्रम में श्री रवि कुमार मीणा द्वारा दिनांक 19.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

श्री रवि कुमार मीणा द्वारा परीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी मनोज कुमार द्वारा परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक रवि कुमार मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही याचिकार्थी मनोज कुमार वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। याचिकार्थी हेमन्त पाल सिंह गुर्जर शून्य मेरिट होने के आधार पर किसी भी प्रकार के नोशनल लाभ के हकदार नहीं होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/नोशनल लाभ/या.699/2021

दिनांक : 07.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 02- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 03- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 04- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 05- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 06- सिस्टम एनालिसिस्ट, कंप्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 07- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि।
- 08- संबंधित कार्मिक।
- 09- निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा निदेशक

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-रावि/पीएससी-15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 13084/2020 सुमन सैनी बनाम राज्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13084/2020 सुमन सैनी अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थिगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी सुमन सैनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
01	02	03	04	05	06
1.	सुमन सैनी	27.09.1986	1545	24.08.2018	28.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक कमला मेरिट क्रमांक - 1581 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा दिनांक 14.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 13084/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 20.09.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक कमला (वरीयता क्रमांक-1581) जन्म तिथि-30.07.1981 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित प्रथम आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में कमला द्वारा दिनांक 14.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

कमला द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2023 को प्रत्याहरित किया जाकर माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकर्त्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक कमला द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकर्त्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

he

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/रावि/नोशनल लाभ/या. 13084/2020

दिनांक : 07.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 02- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
- 03- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
- 04- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 05- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 06- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 07- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
- 08- संबंधित कार्मिक.....।
- 09- निजी/रक्षित पत्रावली

Rajasthan

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ नियुक्ति- भूगोल/ पीएससी-15/2017 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक-24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (सुभाष चन्द्र व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 9877/2022 सुभाष चन्द्र व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कर्मियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9877/2022 सुभाष चन्द्र व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 तथा एस.बी.सी.या.स. 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है If the respondent no-2 decideds to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण सुभाष चन्द्र व अन्य निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कर्मियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कर्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट नं०		व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
			OLD	NEW		
1	SUBHASH CHANDRA	30.06.1990	325	384	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
2	JHINDU RAM	09.10.1984	476	544	28-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
3	KAMAL HASAN	15.06.1988	121	121	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
4	SHARDA	15.07.1990	1157	1144	28-06-2017	03-07-2017
5	DINESH KUMAR MEENA	11.04.1989	781	831	30-06-2017	04-07-2017
6	NARPAT SINGH	23.01.1980	629	623	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
7	SURENDRA KUMAR	28.12.1986	592	597	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व
8	ASHUTOSH SINGH	10.11.1986	227	159	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
9	ANITA GODARA	01.07.1991	674	713	28-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
10	ASIF KHAN	10.11.1985	190	194	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
11	SUGANA KUMARI	29.03.1984	1021	1030	28-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
12	MOHAN LAL KALKAL	01.06.1984	572	554	30-06-2017	05-07-2017 मध्याह्न पूर्व
13	AKSHAY JOSHI	14.02.1990	368	281	29-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पश्चात्
14	RAVI KUMAR KOLI	06.07.1990	760	757	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
15	SUMITRA KUMARI JAT	06.04.1988	798	816	28-06-2017	30-06-2017
16	KUMBHA RAM	07.09.1992	978	999	30-06-2017	08-07-2017 मध्याह्न पूर्व

17	MOHIT PANCHAL	05.02.1988	56	40	29-06-2017	01-07-2017
18	SIRDARA RAM	23.03.1993	788	691	30-06-2017	02-07-2017 मध्याह्न पूर्व
19	ASHA RAM	21.01.1986	266	280	29-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व
20	DESHRAJ BAIRWA	03.01.1984	783	785	30-06-2017	02-07-2017
21	MALA RAM	03.12.1976	934	990	30-06-2017	03-07-2017 मध्याह्न पूर्व
22	JAWAHAR LAL	05.06.1988	930	951	30-06-2017	04-07-2017 मध्याह्न पूर्व
23	ASHAVANI KUMAR MEENA	10.02.1987	510	412	30-06-2017	01-07-2017 मध्याह्न पूर्व

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भूगोल विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2017 में कार्मिक सुमन मेरिट क्रमांक 1190 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुमन द्वारा राउमावि. मेहारा जादुवास खेतडी (216016) झुंझुनूं में दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 9877/22 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुमन (मेरिट क्रमांक 1190) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुमन द्वारा दिनांक 30.06.2017 मध्याह्न पूर्व को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

सुमन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लिखित याचिकाधियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुमन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकाधियों ही वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।



(गौरव अग्रवाल)
आईएसएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/सुभाष चन्द्र भूगोल/नोशनल/या.सं.-9877/2022

दिनांक- 07.02.2023

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर